दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्र संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2017/5331 दिनांक : 05.12.2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरदार पटेल पी0जी0 कालेज बडागॉव,
जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

महोदय,

कुलपति महोदय ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आलोक में **डॉ0 पारसनाथ पुत्र श्री राम (जन्मतिथि 01.09.1968, शैक्षिक योग्यता पी0एच–डी0, आधार कार्ड0 नं0 381948647748, पैन नं0 ADOPN2132M के प्राचार्य** पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचाार करते हुए स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर **(अथवा जन्मतिथि के अनुसार 65 वर्ष तक मान्य होगा)** उनके प्राचार्य पद पर अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उक्त अनुमोदन पी0एच–डी0 सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्राचार्य के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(संजय कुमार)
कुलसचिव